भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 720
29 नवम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

वरिष्ठ नागरिकों हेतु स्वास्थ्य बीमा

720. श्री सुधीर गुप्ता:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई) के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए और अधिक स्वास्थ्य पैकेज जोड़ने की योजना बना रही है/आंकलन कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है;

(ख) देश भर में विशेष रूप से महाराष्ट्र में उक्त योजना के अंतर्गत कुल कितने लाभार्थी हैं;

(ग) उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत कुल संभावित व्यय तथा योजना के अंतर्गत पैनल में शामिल सरकारी/निजी अस्पतालों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि उक्त योजना कुछ राज्यों में क्रियाशील नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त योजना को उन राज्यों में कब तक क्रियाशील किए जाने की संभावना है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव)

(क): भारत सरकार ने दिनांक 29.10.2024 को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना, परिवार के आधार पर प्रति वर्ष 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार लाभ प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का विस्तार किया है।

नवीनतम स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) के राष्ट्रीय मास्टर में यह योजना सामान्य चिकित्सा, सामान्य सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी आदि सहित 27 चिकित्सा विशेषज्ञताओं की 1961 प्रक्रियाओं से संबंधित नकद रहित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है, जिसका लाभ विभिन्न आयु समूहों द्वारा

उठाया जा सकता है। इनमें हीमोडायलिसिस/पेरिटोनियल डायलिसिस, एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक, एक्सेलेरेटेड हाइपरटेंशन, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट, पीटीसीए, डायग्नोस्टिक एंजियोग्राम, सिंगल चैंबर परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांटेशन, डबल चैंबर परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांटेशन आदि सहित उपचार सेवाएं पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यों को स्वास्थ्य लाभ पैकेजों को स्थानीय जरूरत के अनुसार और अधिक समावेशी करने के लिए लचीलापन प्रदान किया गया है।

(ख): देश भर में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थी परिवारों की अनुमानित संख्या 4.5 करोड़ है, जो इस योजना के तहत शामिल 6 करोड़ व्यक्तियों के अनुरूप है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य के 49.64 लाख परिवार के 66.26 लाख व्यक्तिगत लाभार्थी भी शामिल हैं।

दिनांक 25.11.2024 तक की स्थिति के अनुसार, योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए महाराष्ट्र राज्य में 2,302 कार्ड सहित लगभग 14 लाख आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाए गए हैं।

(ग): उक्त योजना के लिए कुल 3,437 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है, जिसमें से 2,165 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2024-25 और वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्रीय हिस्सा का व्यय होने की संभावना है। दिनांक 31.10.2024 तक कुल 29,870 अस्पताल पैनलबद्ध हैं, जिनमें से 13,173 निजी अस्पताल हैं।

(घ) और (ङ): ओडिशा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इस योजना को लागू नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस योजना में शामिल करने के लिए प्रयास कर रही है, ताकि पात्र लाभार्थी स्वास्थ्य सेवा लाभ से वंचित न रहें।

इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र, झारखंड और अन्य राज्यों के कुछ जिलों में आदर्श आचार संहिता, जहाँ उपचुनाव हुए थे, लागू थी जिसके कारण इस अवधि के दौरान योजना के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों का कोई नया नामांकन नहीं हुआ।

हालाँकि, अब आदर्श आचार संहिता हट जाने के कारण पात्र वरिष्ठ नागरिकों का नामांकन शुरू हो गया है।

******